आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
	2	3

18-1-18

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।

वन्दोवस्ती वाद सं0–15/12–13

आवेदिका–रोमोल बेवा

बनाम

16 आना रैयत, मौजा अराजी मोकिमपुर

आदेश

आवेदिका रोमोल बेवा, पिता स्व0 किशन मंडल , सा0– गढ़तलाव(मंगलहाट) पो0– मंगलहाट थाना–राजमहल, जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर दिनांक 17.01.2013 को वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, राजमहल से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं मौजा अराजी मोकिमपुर के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई ।

आवेदित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	कुल रकवा
अराजी मोकिमपुर	18	06	03 कट्टा

नोटिस तामिला प्राप्त। मौजा अराजी मोकिमपुर के 16 आने रैयतों द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रकार के आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है।

आवेदिका को सुना। आवेदिका द्वारा अपने नाम से बन्दोबस्ती एवं लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने पत्रांक 1849/रा0 दिनांक 07.11.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा अराजी मोकिमपुर के जमाबंदी नं0–18 , दाग नं0–06, रकवा 45–19–12 धूर जमीन सर्वे खतियान में अनावादी खाता कहकर दर्ज है। जिसका आंशिक रकवा 03 कट्टा जमीन बसोबास हेतु आवेदिका के दखल कब्जा कर मकान बना कर निवास कर रहे है। आवेदिका गरीब, मजदूर एवं भूमिहीन किस्म का व्यक्ति है। आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर–वसर करने वाली श्रेणी में आती है तथा उन्हें उक्त मौजा में बसोबास के लिए अपनी जमीन नहीं है।

उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका ने बन्दोबस्ती कराकर सरकार को लगान देना चाहती है। आवेदित जमीन मौजा अराजी मोकिमपुर जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–06 आंशिक रकवा 03 कट्टा जमीन का वार्षिक लगान प्रति एकड़ 100/–(एक सौ) रू0 की दर से 03/–रू0 अलावे सेस अंकित किया गया है जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा आवेदिका रोमोल बेवा, पिता स्व0 किशन मंडल, सा0– गढ़तलाव(मंगलहाट) पो0– मंगलहाट थाना–राजमहल, जिला– साहेबगंज के नाम से बन्दोवस्ती करने एवं राजस्व हित में लगान निर्धारण करने की अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, राजमहल का अनुशंसा के आलोक में राजस्व की वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा मौजा के 16 आना रैयतों की आपत्ति के आभाव में आवेदिका रोमोल बेवा, पिता स्व0 किशन मंडल, सा0– गढ़तलाव(मंगलहाट) पो0– मंगलहाट थाना–राजमहल, जिला– साहेबगंज के नाम से बन्दोवस्ती की स्वीकृति दी जाती है तथा आवेदित भूमि का लगान 100/–(एक सौ) रू0 प्रति एकड़ की दर से रकवा 03 कट्टा भूमि का लगान 03/–रू0 अलावे सेस निर्धारित किया जाता है जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। उक्त भूमि अहस्तान्तरणिय होगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजमहल को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

18/1/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

18/1/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner